न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 99/2020 (2020/00347) दर्ज दिनांक 05.08.2020

वाद– अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. गणपतसिंह पुत्र बख्तावर सिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्रीमती दरियाव कंवर पत्नि गणपत सिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. रामसहाय पुत्र हरिराम महाजन निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीगणः–श्री एस0के0जैन
अधिवक्ता प्रतिवादीः–श्री दिनेश क्षोत्रिय
पेरोकार सरकार

<u>वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए.</u>

दिनांक 29.01.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त शामलाती खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात सरहद सल्यावड़ी पटवार हल्का शिवरती भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आगली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में खाता संख्या 336 में अन्य आराजियात के साथ आराजी नं0 [illegible]8 रकबा 0.92 हे0, आराजी नं0 1747 रकबा 0.40, आराजी नं0 2070/1749 रकबा [illegible] है। जिसमें वादीगण का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हक हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 15:58:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर;
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त आराजियात का सहमति से बंटवाड़ा कराना चाहा तो वादीगण को जानकारी में आया कि आराजी नं0 1228 रकवा 0.92 हे0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है लेकिन मौके पर राजस्व नक्शे में रकबा बरारी अनुसार रकबा 0.74 हे0 ही हैं व इसी प्रकार आराजी नं0 1747 का रकबा 0.40 हे0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, लेकिन मौके पर राजस्व नक्शे में रकबा बरारी अनुसार रकबा 0.49 हे0 बनता है व आराजी नं0 2070/1746 रकबा 0.22 हे0 का रकबा बरारी अनुसार रकबा 0.31 हे0 बनता है। इस प्रकार उक्त तीनों आराजी का रकबा राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज है। इस कारण से न्यायहित में आराजी का नम्बर 1228 का रकबा 0.92 हे0 के बजाए रकबा 0.74 हे0 व आराजी नं0 1747 का रकबा 0.40 हे0 के बजाय 0.49 हे0, आराजी नं0 2070/1746 का रकबा 0.22 हे0 के बजाए 0.31 हे0 दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

यह कि इस प्रकार रकबा बरारी अनुसार रकबा दुरूस्त करने से पक्षकाराके मध्य किसी प्रकार का वाद विवाद व हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, वरन मौके पर उक्तानुसार रकबा होने से बटवाड़ा बाबत विवाद भी नही रहेगा, इस हेतु वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 को दिनांक 15 जुलाई 2020 को उक्तानुसार रकबा दुरूस्त करने हेतु निवेदन करने पर उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराचोही करने की हिदायत दी गयी, जिससे यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

अतः सादर प्रार्थना हैं –कि बहक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 02 इस आशय की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमायी जाकर सरहद सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 1228 का रकबा 0.92 हे0 के बजाए रकबा 0.74 हे0 व आराजी नं0 1747 का रकबा 0.40 हे0 के बजाए 0.49 हे0, आराजी नं0 2070/1746 का रकवा 0.22 हे0 के बजाए 0.31 हे0 अनुसार रकबा राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त कराया जाकर इसी रकवे अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाने की डिक्री सादिर फरमायी जावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 05.08.2020 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तु कर वादी पत्र की कलम संख्या 01 , 02 व 03 को वाद पत्र मे वर्णित तथ्य अनुसार स्वीकार किया है। कलम संख्या 04 व 05 में जवाब की आवश्यकता नहीं, कलम संख्या 06, 07, 08 कानूनी है। कलम संख्या 09, 10 में जवाब की आवश्यकता नहीं। कलम संख्या 11 में वादी ने शपथ पत्र पेश किया जो सही है। कलम संख्या 12 में जवाब की आवश्यकता नहीं है।

उक्तानुसार प्राप्त जवाब पर तहसीलदार सहाड़ा द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जो इस प्रकार हैः–

ग्राम सल्यावड़ी के खाता संख्या 336 किता 09 रकबा 4.87 हे0 भूमि में से वादपत्र में अंकित रकबा बरावरी किये जाने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गईः–

आराजी नं0	जमाबंदी अनुसार रकबा	रकबा बराबरी अनुसार रकबा
1228	0.92 हे0	0.74 हे0
1747	0.40 हे0	0.49 हे0
2070/1746	0.22 हे0	0.31 हे0

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 15:58:34 IST
Reason: SelfAttested

2.

(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या:–99 / 2020 (2020 / 00347)
वाद– अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी ए

प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार सरकार द्वारा भी जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:–पेरा संख्या 1 रेकार्ड अनुसार स्वीकार है। पेरा संख्या 02 में तहसीलदार सहाड़ा से प्राप्त रकबा बरारी रिपोर्ट अनुसार स्वीकार है। पेरा संख्या 03 कानूनी है। पेरा संख्या 04 लगायत 12 न्यायिक है।

उक्त प्रकरण पर अधिवक्ता उभयपक्ष की एक बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी के लिए उक्त आराजी में ही रकबा कम ज्यादा हो रहा है किसी ओर का रकबा प्रभावित नहीं हो रहा है अतः नक्शा दुरूस्त करवावें एवं नक्शे अनुसार रकबा बराबरी करवाना न्यायेचित है। वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं । प्रवितादी संख्या 01 के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार ने उक्त बहस एवं वाद पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जाहीर की है।

मैंनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों , जवाब एवं प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन पर वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 अन्तर्गत धारा का यह न्यायालय वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझता है अतएवं–

–: आदेश :–

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को सरहद सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 1228 का रकबा 0.92 है0 के बजाए रकबा 0.74 है0 व आराजी नं0 1747 का रकबा 0.40 है0 के बजाए 0.49 है0, आराजी नं0 2070 / 1746 का रकबा 0.22 है0 के बजाए 0. 31 है0 अनुसार रकबा राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है एंव इसी रकबे अनुसार वादीगण एवं प्रवितादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार घोषणात्मक डिक्री जारी हो।

पत्रावली वाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली) उपखण्ड
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (कलक्टर)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर (भी.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 15:58:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 99/2020 (2020/00347) दर्ज दिनांक 05.08.2020

वाद– अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. गणपतसिंह पुत्र बख्तावर सिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्रीमती दरियाव कंवर पत्नि गणपत सिंह राजपूत निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. रामसहाय पुत्र हरिराम महाजन निवासी सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीगण:–श्री एस0के0जैन
अधिवक्ता प्रतिवादी:–श्री दिनेश क्षोत्रिय
पेरोकार सरकार

डिक्री दिनांक 29.01.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0जैन, प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री दिनेश क्षोत्रिय एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती हैं कि ---×--- और इस वाद के खर्च लेखे ----×--- रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ----×------ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ----×------ द्वारा ----×------ को दी जाए।

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को सरहद सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा की आराजी नं0 1228 का रकबा 0.92 हे0 के बजाए रकबा 0.74 हे0 व आराजी नं0 1747 का रकबा 0.40 हे0 के बजाए 0.49 हे0, आराजी नं0 2070/1746 का रकबा 0.22 हे0 के बजाए 0.31 हे0 अनुसार रकबा राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है एंव इसी रकबे अनुसार वादीगण एवं प्रविवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.29 15:58:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner